

सेवा में,

माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज (उ0प्र0)

श्रीमान् जी,

बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थी संजय यादव पुत्र स्व0 आजाद सिंह यादव निवासी 1250 राजीव नगर महावीरनपुरा नगरा थाना प्रेमनगर झांसी का निवासी है। मुकदमा अपराध सं0 507/2020 सरकार बनाम राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला आदि धारा-302, 307, 504, 506 ता0हि0 थाना प्रेमनगर झांसी में पंजीकृत मुकदमे का वादी मुकदमा है, एवं मृतक आजाद सिंह यादव का पुत्र है। उपरोक्त मुकदमे में न्यायालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झांसी के न्यायालय में अभियुक्त राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला ने दिनांक 06.05.2021 को राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला बनाम सरकार मु0अ0सं0-507/2020 में अपना जमानत प्रार्थना पत्र सं0- 1138/2021 धारा-302, 307, 504, 506 ता0हि0 में अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र में वास्ते सुनवाई दिनांक 25.05.2021 की तिथि नियत की गयी थी। उसके उपरान्त दिनांक 04.06.2021 की तिथि नियत की गई। फिर दिनांक 09.06.2021 की तिथि वास्ते सुनवाई नियत की गयी। पुनः दिनांक 11.06.2021 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी। तदुपरान्त दिनांक 14.06.2021 को न्यायाधीश श्रीमान् विमल प्रकाश आर्य अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-2 झांसी के न्यायालय में उपरोक्त अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा, सरकारी वकील एवं वादी मुकदमा के अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी। सम्पूर्ण सुनवाई के बाद अभियुक्त का उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु नियत किया गया।

Sanjay Yadav

8/107

2/13

यह कि दिनांक 14.06.2021 को जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण हुआ कि  
सहायक न्यायाधीश महोदय ने जमानत प्रार्थना पत्र का पुनः सुनवाई सुनवाई  
हेतु दिनांक 22.06.2021 की तिथि निर्धारित कर दी गयी है।

यह कि प्रार्थी पानी राजू जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण हुआ कि  
अभियुक्त राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला के अधिवक्ता के नाम के पत्र  
अभियुक्त का पुत्र भरत यादव जीवित अवस्था में होने का दावा कर रहे हैं  
कि दिनांक 22.06.2021 को तगारे पिता की जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण हुआ कि  
क्योंकि हम लोगों की न्यायालय में सीटिंग हो चुकी है। अभियुक्त के अधिवक्ता  
यादव उर्फ राजू जहरीला को उसके प्रमाण के अभाव में जमानत प्रार्थना पत्र  
बिना किसी सुविध्युक्त कारण के गैरकानूनी प्रणाली में प्रार्थी को निस्तारण हुआ कि  
है, जहां स्वतंत्र रूप से रहकर अभियुक्त गवाहों को उचित सम्मान देता है। सुनवाई  
पूर्व में भी प्रार्थी/वादी द्वारा धमकाये जाने बावजूद थाना प्रेमनगर में अज्ञान प्रभाव से  
हत्या होने के बाद मुकदमा पंजीकृत कराया था।

यह कि दिनांक 14.06.2021 को जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई  
सुनवाई के पश्चात् जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण हुआ कि  
प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई हेतु न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 22.06.2021 की  
तिथि सुनवाई हेतु लगाई गई है, जिसमें स्वयं श्रीमान् विगत प्रभारत आनंदा जी  
अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-2 महोदय ज्ञांसी सुनवाई करेंगे। इससे  
स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के पुत्र द्वारा की गयी बातचीत सही प्रतीत होती है।  
ऐसे में न्यायालय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-2 महोदय ज्ञांसी  
के न्यायालय में यदि जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई की जाती है तो प्रार्थी/वादी  
को न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ  
राजू जहरीला बनाम सरकार, जमानत प्रार्थना पत्र सं0- 1138/2021 धारा-302,  
307, 504, 506 ता0हि0, थाना प्रेमनगर जिला ज्ञांसी मु0आ0सं0-507/2020 नियत

Sahib 4.2.11

2/14

8/108

तिथि 22.06.2021 की सुनवाई न्यायाधीश श्री विमल प्रकाश आर्य अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-2 महोदय झांसी के न्यायालय में न करवाकर झांसी के किसी अन्य न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई करवाये जाने की कृपा करें। श्रीमन् जी की अति कृपा होगी।

दिनांक - 15/06/2021

प्रार्थी

*Sanjay Yadav*

संजय यादव पुत्र स्व0 आजाद  
सिंह यादव निवासी 1250  
राजीव नगर महावीरनपुरा नगरा  
थाना प्रेमनगर झांसी, मो0-  
9453908104

संलग्नक-

प्रार्थना पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट  
मु0अ0सं0- 507/2020 एवं मा0 जिला एवं  
सत्र न्यायालय झांसी द्वारा पारित आदेश/शेड्यूल  
दिनांक 05.06.2021 की छायाप्रति संलग्न है।

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय न्यायमूर्ति प्रशासनिक जज महोदय झांसी क्षेत्र,  
मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज
- 2- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, झांसी

8/109

2/15

From Vimal Prakash Arya  
Additional Distt. & Session Judge Jhansi.  
(Fast Track Court).  
(C/u 14<sup>th</sup> Finance Commission).

To The Hon'ble District Judge  
Jhansi.

Subject : Order passed on dated 18.06.2021 on application of Sanjay Yadav  
S/o late Azad Singh Yadav R/o 1250 Rajeev Nagar Mahaveeranpura  
Nagra P.S. Prem Nagar Jhansi Mob. No. 9453908104.

Sir

With due respect I have to say that the said complaint is received to me today. The matter is most urgent hence the comment is sent as soon as possible. My comments are as below:-

1. That all the allegations made in complaint application are false.
2. That on dated 21.06.2021 I heard other bail applications and anticipatory bail applications (i.e. B.A. No 976/2021 Vs Gokul Prasad Rajpoot, 246/2021 Vs Sanjay kumar Sen, 1061/21 Vs Ajay Rajpoot, 1272/21 Vs Puneeta and anticipatory bail applications 1332/21 Vs Smt Rati @ Ramrati and 664/2021 Vs Jai Hind) and passed an order besides these bail applications I heard bail application no. 1138/2021 u/ss 302,307,504 and 506 I.P.C. P.S. Prem Nagar District Jhansi, c.cr. no. 507/2020, but I could not heard all the argument of learned counsel of both the parties because the argument could not be concluded and the time was over.
3. That It was not possible to decide any bail application without proper hearing. I could not heard all the arguments and I fixed dated 22.06.2021 for the rest arguments. Therefore the said bail application could not be decided.
4. That as per the complainant in this bail application earlier date 25.05.2021, 04.06.2021, 09.06.2021 and 14.06.2021 was fixed. It shows that this bail application could not be decided due to its lengthy arguments.
5. That the complaint is made only to make pressure on me.

With regards.

Yours sincerely




(Vimal Prakash Arya)  
21.06.2021

Additional Distt. & Session Judge Jhansi.  
(Fast Track Court).

(C/u 14<sup>th</sup> Finance Commission).

Dated: 21.06.2021

  
21.06.21

# OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, JHANSI

(dated - 05.06.2021)

Ref No. 132. D.J

## Order

In compliance of guidelines issued by Hon'ble High Court vide order no. 1998/LXXXVII-CPC/e-Courts/Antarabad dated 04.06.2021 wherein Court Room Outlets (courts at North Metropolitan Circle and N.T.C.M. Railway) Court Jhansi shall work with following modified schedule in addition. Earlier schedule stayed vide this office order no. 127/D.J dated 22.05.2021 & 107/D.J dated 27.04.2021

- The concerned Judicial Officers/courts shall take up the matters as per direction laid by Hon'ble High Court vide letter no. 1998/LXXXVII-CPC/e-Courts/Antarabad dated 04.06.2021
- For the Special Court District/Additional District & Sessions Court & other Civil Courts the following Judicial Officers shall take up the above matters by rotation as per time and room slots allotted to them through video conferencing or Virtual mode only in Court premises -

S. N	Nature of Matters	Dates	Panel of the Courts	JTCL link	Time slot
1		7.15.21 June	Spl. Judge (D.C./ST Act)		
2	Matters relating to all A.D.J Courts exercising Special Jurisdiction	8.16.24 June	Spl. Judge (D.A.A.)	<a href="https://meet.jt.cl/spjccvjhansi">https://meet.jt.cl/spjccvjhansi</a>	10.00 AM to 10.30 AM
3		9.17.25 June	Spl. Judge (D.C. Act)		
4		10.18.28 June	Spl. Judge (Langar)		
5		11.21.29 June	Spl. Judge (P.C.S.O.)		
6		14.22.30 June	Spl. Judge (M.P.S. Act)		
1	Matters relating to District Judge & all A.D.J Courts	7.15.21 June	District Judge, Senior Most A.D.J	<a href="https://meet.jt.cl/districtjudgejhansi">https://meet.jt.cl/districtjudgejhansi</a>	09.30 AM to 10.00 AM
2		8.16.24 June	Addl Distt & Sessions Judge Court No. 1		
3		9.17.25 June	Addl Distt & Sessions Judge/FTC (D.A.W.)		
4		10.18.28 June	Addl Distt & Sessions Judge C.N. 2		
5		11.21.29 June	Addl Distt & Sessions Judge, C.N. 8		
6		14.22.30 June	Addl Distt & Sessions Judge/FTC (14th F.C.)		
3	Matters relating to J.S.C.C. Courts	All Working Days	J.S.C.C., Jhansi	<a href="https://meet.jt.cl/jscjhansi">https://meet.jt.cl/jscjhansi</a>	08.00 AM to 08.30 AM
4	Matters relating to All Civil Judge (S.D.) Courts	All Working Days	Civil Judge (S.D.), Jhansi	<a href="https://meet.jt.cl/cjdjhansi">https://meet.jt.cl/cjdjhansi</a>	08.30 AM to 09.00 AM
5	Matters relating to All Civil Judge (A.D.) Courts	All Working Days	Civil Judge (A.D.), Jhansi	<a href="https://meet.jt.cl/cjdjhansi">https://meet.jt.cl/cjdjhansi</a>	09.00 AM to 09.30 AM

From Vimal Prakash Arya  
Additional Distt. & Session Judge Jhansi.  
(Fast Track Court).  
(C/u 14<sup>th</sup> Finance Commission).

To The Hon'ble District Judge  
Jhansi.

Subject : Order passed on dated 18.06.2021 on application of Sanjay Yadav  
S/o late Azad Singh Yadav R/o 1250 Rajeev Nagar Mahaveeranpura  
Nagra P.S. Prem Nagar Jhansi Mob. No. 9453908104 and correction  
in comment submitted by me on dated 21.06.2021.

Sir


With due respect I have to say that in light of above subject I  
submitted my comment on dated 21.06.2021. By typing mistake in line no. one of  
para 2 it was typed 21.06.2021 while the correct date is 14.06.2021 instead of  
21.06.2021.

Therefore you are kindly requested to read date 14.06.2021 instead of  
21.06.2021 in line no. one of para 2 of comment dated 21.06.2021 submitted by  
me.

With regards.

Yours sincerely

Dated: 22.06.2021

  
22.06.2021  
(Vimal Prakash Arya)  
Additional Distt. & Session Judge Jhansi.  
(Fast Track Court).  
(C/u 14<sup>th</sup> Finance Commission).

  
22.06.2021



## न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी ।

उपस्थित:- विमल प्रकाश आर्य, एच०जे०एम० (J) Code No. UP6488

वेद प्रकाश शुक्ल, एच०जे०एम० (J) Code No. UP6488

(CNR NO-UPJS01-001440-2021)

दिनांक:-

09/06/2021

पृष्ठ संख्या

सत्र न्यायाधीश, झाँसी

वेद प्रकाश शुक्ल, एच०जे०एम० (J) Code No. UP6488

मु.प्र.सं. 383/2018

### दिनांक-14-06-2021 निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र जयहिन्द सिंह

अभियुक्त जयहिन्द सिंह पुत्र लेखराज सिंह, निवासी-मिर्गछपुंग कम्बा गनीपुर, थाना-मऊरानीपुर, जिला-झाँसी द्वारा यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है

अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र में संक्षेप में यह कथन किया है कि थाना मऊरानीपुर की पुलिस व खनन सर्वेक्षक वेद प्रकाश शुक्ल खनिज विभाग द्वारा दिनांक 09-10-2018 को गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। उक्त प्रकरण में उसके विरुद्ध ग्राम देवरीसिंहपुरा धर्मवीर मंदिर व बजरंग बली मंदिर के बालू व मोरम डम्प करना बताया गया है, गलत तथ्यों के आधार पर बगैर किसी साक्ष्य के कार्यवाही की गयी है प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त मुकेश राय, आशीष राय के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उक्त प्रकरण में नामदर्ज अभियुक्तों में से अभियुक्त आशीष राय की नामजदगी गलत बताई गई। उक्त प्रकरण झूठा व मनगढ़न्त दर्ज कराया गया है। उसके कब्जे से बालू, मोरम नहीं बरामद हुई, न ही उसके द्वारा सुखनई नदी में से कोई बालू मोरम उठाकर डम्प की गई। उक्त प्रकरण में किसी व्यक्ति स्वतन्त्र साक्षी द्वारा नहीं बताया गया। उक्त बालू मोरम उसके द्वारा डम्प की गयी, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। उसका जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय जे०एम० मऊरानीपुर झाँसी के द्वारा दिनांक 05-01-2021 को खारिज किया गया है। उपरोक्त प्रकरण वर्तमान में जे०एम० मऊरानीपुर, झाँसी के न्यायालय में विचाराधीन है। वह जिला झाँसी का स्थायी निवासी है, इस कारण उसके फरार होने या भाग जाने की कोई संभावना नहीं है। दौरान मुकदमा वह न्यायिक कार्यवाहियों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा, मुकदमें से सम्बन्धित किसी साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा, न ही किसी गवाह को डरायेगा, धमकायेगा। मुकदमें से सम्बन्धित कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा। वह उपरोक्त मुकदमें में अपनी जमानत कराना चाहता है तथा उचित राशि की प्रतिभूतियाँ व निजी मुचलका देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी मुकदमा वेद प्रकाश शुक्ल खनन

सर्वेक्षक स्वामिनंद प्रभाकर दासी द्वारा 09-10-2018 को एक तहसीर डम आशय की सम्बन्धित थाने पर दी गई है कि 09-10-2018 को प्रबंध स्वामिनंद व परिश्रम पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु गवाह संख्या UP 3? BG 6675 ड्राइवर श्री नीरज व धमराही HG 438 श्री लखनलाल के साथ पत्नारी निरीक्षक श्री प्रमोद व कां० हर्षित घौसान कां० प्रमोद के साथ तह० मऊरानीपुर के गाम देवरी सिंहपुरा स्थित मखनई नदी के तल का निरीक्षण किया गया समया करीब 100 अपराहन में गाम देवरी सिंहपुरा में 04 अलग-अलग जगहों पर नदी सूखनई से चोरी करके एकत्रित बालू/मोरम पकड़ा गया। निम्नका विवरण डम प्रकार है (I) गाम देवरी सिंहपुरा में बगिया में 10 घ०मी० (GPS लोकेशन 25 14 4? 75N 79 3 18E) (II) गाम देवरी सिंहपुरा में मरघटा व काल भंगव मॉन्टर के पूरब 35 घ०मी० बालू (GPS लोकेशन 25 14 35N 95, 79 3 35 20E) (III) ग्राम देवरी सिंहपुरा में धरमचौर मॉन्टर के दक्षिण दिशा में नाल के किनार 15 घ०मी० (IV) ग्राम देवरी सिंहपुरा में बजरग बली मॉन्टर के पश्चिम दिशा में 60 घ०मी० बालू (GPS लोकेशन 25.14 31.02N, 79.3.45.15E)। उपरोक्त चारो चोरी करके लाय गये बालू है। उपरोक्त एकत्रित बालू/मोरम के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ की गयी तो लोगों ने बताया कि पहला डम्प श्री मुकेश राय पुत्र स्व० श्री मोहनलाल नि० देवरी सिंहपुरा थाना-मऊरानीपुर व दूसरा डम्प श्री आशीष राय पुत्र श्री घनश्याम राय नि० रानीपुर, थाना-मऊरानीपुर द्वारा व श्री मुकेश राय पुत्र स्व० श्री मोहन लाल नि० देवरी सिंहपुरा थाना-मऊरानीपुर द्वारा संयुक्त रूप से तीसरा व चौथा डम्प श्री जयहिन्द पुत्र लेखराज नि० सिरधरपुरा कस्बा रानीपुर, थाना-मऊरानीपुर द्वारा किया गया है।

सम्बन्धित थाने से अभियुक्त के विभिन्न प्रकार के 29 अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किये गये हैं सम्बन्धित थाने द्वारा अभियुक्त का अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 30-10-2021 से जिला कारागार में निरुद्ध है। बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है और अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्त जयहिन्द का जमानत प्रार्थनापत्र सं०-664/2021 तदनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000 रुपये का निजी बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो समान प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के अधधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

- 1- आवेदक/अभियुक्त संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- 2- अभियुक्त अभियोजन के किसी भी गवाह को डरायेगा व धमकायेगा नहीं और न ही अभियोजन साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगा।
- 3- अभियुक्त समान प्रकृति का अन्य कोई अपराध कारित नहीं करेगा।



4- अभियोजन साक्षी के न्यायालय में उपस्थित होने और साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पर्याप्त व युक्तिसूक्त आधारों के बिना स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा और वाद के निस्तारण में न्यायालय को सहयोग करेगा और किसी भी प्रकार का कोई व्यावधान कारित नहीं करेगा।

दिनांक:-14-06-2021

(विमल प्रकाश आर्य)  
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,  
झाँसी।

लक्ष्मी आशुलिपिक।



न्यायालय अदालत जिला एवं सब न्यायाधीश, न्यायालय सं०-८, झांसी ।

दिनांक 14/06/2021

क्रमांक 272 भा०द०सं०

( NP No: DP(50) 06/2021 272 )

लोकपाल (अदालत) शासकपुत्र एवं करीब 60 वर्षीय पुरुष उमरके साथ 'अवैध शराब' के प्रयोग के आरोप में  
निवेदन-झांसी

बनवा

राज्य प्रदेश सरकार

पुलिस इंस

भा० 272 भा०द०सं०

एव भा०-60(1), आबकारी अधिनियम

थाना-टहरौली, जिला झांसी

मु०अ० सं०-50/2021

**दिनांक-14-06-2021 निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र गोकुल प्रसाद राजपूत**

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त गोकुल प्रसाद राजपूत पुत्र अचछन्ना के  
तरफ से मु०अ०सं०-50/2021 धारा-272 भा०द०सं० एव धारा-60(1) आबकारी  
अधिनियम थाना-टहरौली, जिला-झांसी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है,  
जिसमें वह न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरुद्ध है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र मे संक्षेप में यह कथन किया गया है  
कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा, रंजिशन व गांव की चुनावी पार्टीबन्दे के  
कारण झूठा फसाया गया है व पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त कथित दिनांक, समय व  
स्थान पर न ता किसी प्रकार की अवैध शराब बेंच रहा था और न ही उसके कब्जे से कोई  
अवैध शराब व यूरिया खाद बरामद हुई है। थाना पुलिस ने मात्र कारगुजारी दिखाने के लिए  
फर्जी बरामदगी दिखाते हुए मामले में उसे झूठा फसा दिया है। कथित बरामदगी स्थल एक  
सार्वजनिक मुख्य सडक पर स्थित है, जहाँ लोगों का आना-जाना बना रहता है, किन्तु  
किसी भी जनता के व्यक्ति प्रार्थी/अभियुक्त को अवैध शराब बेंचते नही देखा है और न ही  
पुलिस ने जनता के किसी व्यक्ति को गवाह बनाया है। थाना पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त को  
दिनांक-02-04-2021 को प्रातः 10 बजे थाने बुला कर नाजायज रूपयो की मांग की और  
न देने पर झूठे मुकदमे में चालान कर दिया है। प्रार्थी एक 60 वर्षीय वृद्ध व बीमार व्यक्ति है,  
जो मजदूरी कर अपना व परिवार का भरण-पोषण करता है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व का  
आपराधिक इतिहास नही है और न ही वह कभी जेल गया है और न ही उसे किसी  
न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है, इससे  
पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत आवेदन न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही

विचारणीय है कि आधारी 122 धारा/ अभियुक्त को तमानत पर छोड़ दिया जाने की

आशंका है।

विद्वान् महाराजक तिलक शास्त्रीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तमानत का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्त द्वारा विख्यात और यूरिया के अतिव्यापक रूप में शराब की खाने-काने-काने परामर्शक कच्ची शराब तैयार कर विख्यात किया जाने वाला एक कदम से उसे अपराधक कच्ची शराब व यूरिया खाद की बरामदगी की गयी है। इस प्रकार माधव अतमानतीय व गम्भीर प्रकृति का बताया हुआ तमानत पर छोड़ जाने पर पुनः ममान प्रकृति के अपराध में लगे हो जाने का कथन कर तमानत का विरोध किया गया।

पाथी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता एवं महाराजक तिलक शास्त्रीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं सर्वाधिक प्रपत्रों सहित पुलिस आख्या का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी मुकदमा अमर सिंह (उपनिरीक्षक) द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गोकुल प्रसाद राजपूत के विरुद्ध धारा-272 भा०द०सं० एवं धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा थाना-टहरौली झाँसी पर मु०अ०सं०-50/2021 के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसमें वादी मुकदमा की तहरीर के अनुसार दिनांक-04-04-2021 को मुखबिर की सूचना पर कि एक व्यक्ति रौरा से बकायन जाने वाले रास्ते पर स्थित नाले के रिपटा के किनारे बबूल की झाड़ियों की आड में अवैध कच्ची शराब में यूरिया खाद मिला कर बेंच रहा है, पर विश्वास कर उक्त सूचना के आधार पर पुलिसकर्मचारीगण मुखबिर के बताये स्थान की तरफ मोटर साईकिल से चल दिये और करीब 100 कदम पहले मुखबिर ने रोक कर इशारे से बता कर चला गया। पुलिस बल बबूल की झाड़ियों की आड में छिपते-छिपाते मौके पर जा कर देखा कि एक व्यक्ति एक प्लास्टिक की पिपिया में तरल द्रव्य रखे हैं और पालिथीन में सफेद रंग का पदार्थ रखे हैं। अचानक दविश देकर व घेर कर समय करीब 16-50 बजे दिन में नाला पर बने रिपटा के किनारे उसे बबूल के पेड़ के पास पकड़ लिया गया, जिसने पूछने पर अपना नाम गोकुल प्रसाद राजपूत उम्र करीब 60 वर्ष बताया और उसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 लीटर तरल द्रव्य, पूछने पर कच्ची शराब होना बताया तथा एक पालीथीन में करीब.... Kg. यूरिया खाद बरामद हुई। पूछने पर बताया कि शराब में यूरिया खाद मिला कर बेचने से अधिक नशा हो जाता है। जामा तलाशी पर पहने कुर्ता के दाहिने जेब से 75/-रुपये शराब बिक्री के बरामद हुए। कच्ची शराब रखने का लाईसेंस तलब किया गया तो वह दिखाने में असफल रहा।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में फर्द बरामदगी के आधार पर पालीथीन में जो यूरिया खाद बरामद होने का उल्लेख किया गया है, उसमें यूरिया खाद का कोई वजन उल्लिखित नहीं किया गया है कि बरामद यूरिया खाद का कुल वजन कितना था, मात्र यह लिखा है कि "

पालीशीन मे करीब... KQ. यूरिया खाद बरामद हुई" इससे ज्ञात होता है कि वादी मुकदमा मे बरामद यूरिया खाद का कोई भी जतन प्रकृत ही नहीं किया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध एक मात्र मुकदमा अपराध सं०-192/2020 धारा-60 आबकारी अधिनियम का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त ने अपनी आयु जमानत प्राधना पत्र मे 60 वर्ष बताई है और वादी मुकदमा ने भी प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अभियुक्त की आयु 60 वर्ष दर्शायी है। इस प्रकार मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई निष्कर्ष दिये बिना न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राथी/अभियुक्त गोकुल प्रसाद राजपूत को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त व युक्ति-युक्त आधार है और प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

प्राथी/अभियुक्त **गोकुल प्रसाद राजपूत** पुत्र अच्छेलाल का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-976/2021 स्वीकार किया जाता है। प्राथी/अभियुक्त द्वारा **मु०-पचास हजार रुपये** का निजी बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो समान प्रतिभू दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर उक्त प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक-14-06-2021

श्याम देव मौर्य, आशुलिपिक

(विमल प्रकाश आर्य)

प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय सं०-8, झाँसी।



## न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झांसी ।

आरक्षण निम्न प्रकार अर्थ प्रदान (UP Code UP6488)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र में 12/2/2021

(CNR No- UPJS01- 002518- 2021)

श्रीमती पुनीता

बनाम

उग्र सरकार

धारा- 498A, 304B भा.दं.सं.

एवं 1/4 दं.प्रति.अधि.नियम

थाना- लहचूरा जिला- झांसी

मु.अ.सं. 232/2020

### दिनांक:- 14. 06. 2021 निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र श्रीमती पुनीता

अभियुक्ता श्रीमती पुनीता उम्र 45 वर्ष पत्नी भरत लाल निवासी:- ग्राम खनुआ, थाना- लहचूरा, जिला- झांसी द्वारा यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अभियुक्ता द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र में संक्षेप में यह कथन किया है कि उक्त प्रकरण में वादी ने प्रार्थिया/ अभियुक्ता को रंजिशन झूठा फंसाया गया है । वह कथित घटना के दिन व समय को गांव में नहीं थी, वह बाहर थी । जैसे ही जानकारी मिली वह बस से अगले दिन अपने गांव आयी थी । प्रार्थिया/ अभियुक्ता ने कभी भी कथित दहेज की माग नहीं की न ही प्रताड़ित किया न ही कथित कोई घटना कारित की है न ही वह मौके पर थी । मृतका के परिवारजन को सूचना दी गयी । अगर किसी प्रकरण की घटना कारित की जाती, तो मायके वालो को सूचना क्यों दी जाती । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कथित कोई चोट मृतका के शरीर पर नहीं है । प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित दौरान विवेचना दो लोगों की नामजदगी गलत बतायी गयी । पत्रावली पर कोई डाईरेक्ट साक्ष्य घटना के नहीं है । प्रार्थिया/ अभियुक्ता न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिनांक:- 07. 03. 2021 से जेल में है । प्रार्थिया/ अभियुक्ता महिला है तथा नाबालिग पुत्र अकेला है, घर में कोई नहीं है, जो उसकी देखरेख कर सके । प्रार्थिया/ अभियुक्ता पर्याप्त जमानत मुचलका प्रस्तुत करने को तैयार है । अतः प्रार्थिया/ अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाये ।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता( फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का मौखिक रूप से विरोध करते हुए यह कथन किया है कि वादी मुकदमा की पुत्री गीता का विवाह अभियुक्त आशीष से होने के पश्चात् से अभियुक्ता द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री से अतिरिक्त दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माग करते हुए उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है तथा उक्त दहेज की माग पूरी न होने पर दिनांक:- 14. 09. 2020 को वादी मुकदमा की पुत्री गीता को जान से मार कर हत्या कारित कर दी गयी । अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का गैर जमानतीय है । अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी) के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया ।

मृतका की शादी घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व आशीष के साथ हुई थी और वादी मुकदमा के अनुसार गीता के साथ उसका पति आशीष समस्त भरतलाल श्याम श्रीमती पुनीता द्वारा मनीष व लड़के का मीसा रमपुरा उपरोक्त लोग गलायत दहेज में एक मोटर साइकिल व एक लाख रुपये की मोग करते थे और वादी मुकदमा की पृथी द्वारा मना करने पर उक्त लोगो ने उसकी पृत्री गीता को कई बार मारपीट की और उसे शारीरिक व मानसिक गालबारी दी और वादी मुकदमा ने इस बाबत कई बार पंचायत बुलाई और समझाने का प्रयास किया। किन्तु उसकी ससुराल के उक्त लोग उक्त मोग करते रहे और उक्त लोगो ने वादी मुकदमा की पृथी गीता को दहेज के लालच में जान में मार डाला और वादी मुकदमा के अनुसार उसके दामाद आशीष ने उसे दिनांक 14/09/2020 को मोबाइल पर सूचना दी और कहा कि हमलोगो ने मिलकर वादी मुकदमा की पृत्री को मार डाला है जब वादी मुकदमा ने मुहल्ले व अन्य लोगो से जानकारी ली तो उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पृत्री मर चुकी है।

चूँकि मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल में विवाह के सात वर्ष के दौरान हुई है। इसे साबित करने का भार कि मृतका की मृत्यु किन कारणों से अभियुक्त आशीष के घर में हुई है, का भार अभियुक्त पर है।

शव-विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतका गीता की मृत्यु शॉक एण्ड एसपीसिया एवं एण्टीमार्टम हैगिंग अंकित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अभियुक्ता श्रीमती पुनीता व मृतका गीता एक ही मकान में निवास कर रही थी।

धारा- 161 सीआर०पी०सी० के बयान में हरप्रसाद एवं शत्रुधन ने यह बयान दिया है कि मृतका गीता की शादी दो वर्ष पहले आशीष के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी ससुराल वाले उसके साथ मारपीट व प्रताड़ित करते थे। दिनांक 14-09-2020 को उक्त सभी लोगो ने मिलकर गीता को मार दिया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि सहअभियुक्त भरतलाल की कोर्ट से जमानत निरस्त हो चुकी है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यो के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियुक्ता के विरुद्ध अभिवर्णित अपराध गैर जमानतीय व गंभीर प्रकृति का है। अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए तथा अभियुक्ता मृतका गीता की सास है। प्रार्थिया/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

### आदेश

प्रार्थिया/ अभियुक्ता श्रीमती पुनीता उम्र 45 वर्ष पत्नी भरत लाल, निवासी- ग्राम खनुआ, थाना लहचूरा, जिला- झाँसी (उ०प्र०) की ओर से मु०अ०सं०- 232/ 2020, धारा- 498A, 304B भा०दं०सं० एवं 3/4 द०प्रति०अधिनियम, थाना- लहचूरा, जिला- झाँसी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 1272/ 2021 खारिज किया जाता है।

दिनांक:- 14.06.2021

( विमल प्रकाश अर्य )

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,  
झाँसी।



**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी ।**

उपस्थित- विमल प्रकाश अर्य, एच०जे०एस०

JO Code N ०- UP- 6488

CNR N. UPJS01002184- 2021

**प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1061 सन 2021**

अजय राजपूत पुत्र हुकुम सिंह राजपूत नि०- गाम फलरा थाना शिकूला जिला दतिया म०प्र० ब०  
निवासी हाजसिंग बोर्डे थाना कोतवाली जिला दतिया म०प्र०

बनाम

उ०प्र०राज्य

अ०सं०- ३०९ सन २०२०

धारा- ४५७, ३६०, ४९९ भा०द०सं०

थाना- बबीना, जिला झाँसी ।

**दिनांक: १४- ०६- २०२१**

१- मुकदमा अपराध सं०- ३०९ सन २०२० अन्तर्गत धारा ४५७, ३६०, ४९९ भा०द०सं० थाना बबीना, जिला झाँसी में निरुद्ध अभियुक्त **अजय राजपूत पुत्र हुकुम सिंह राजपूत** की ओर से जमानत हेतु यह **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

२- आवेदक/ अभियुक्त के पैरोकार ने इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इसके पूर्व इस न्यायालय के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त किया गया है ।

३- अभियोजन केस के अनुसार प्रार्थी रामबाबू अहिरवार द्वारा दिनांक ०७- ११- २० को थाना बबीना जिला झाँसी पर तहरीर प्रस्तुत की गयी कि आज दिनांक ६/ ७- ११- २० की रात जब वह खाना खाकर सो गया था रात उसके मकान के बाहर के कमरे में ताला लगा हुआ था अज्ञात व्यक्ति उसके कमरे का ताला तोड़कर बक्से में रखे पच्चीस हजार रुपये, दो जोड़ी पायल, एक हाफ पेटी चांदी की चोरी करके ले गये । उसके ही परिवार की श्रीमती वती पत्नी बलराम अहिरवार का भी ताला तोड़कर पन्द्रह हजार रुपये नकद, हाफ पेटी चांदी की ले गये हैं व उसके ही परिवार का ओमकार पुत्र भग्गू अहिरवार का भी ताला तोड़कर पन्द्रह हजार रुपये नकद, हाफ पेटी चांदी की अज्ञात बदमाश द्वारा चोरी की गयी है । आकाश का सैमसंग मोबाइल नं०- ८९५७३४९००३ भी ले गये । प्रार्थी की उक्त तहरीर के आधार पर धारा ३६०, ४५७ भा०द०सं० बनाम अज्ञात में मुकदमा अपराध पंजीकृत किया

गया। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से लगे किया गया है कि पार्थी अभियुक्त ने कतिपय अपराध करारित नहीं किया है। उसे पुलिस ने मद्राज कारागृहों दिरबाने के लिए झूठा मालिजम बना दिया है। घटना की गिरफ्त बिलम्ब से अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है। बिलम्ब का कारण दर्शाते नहीं किया है। अभियुक्त से बरामदगी दिरवायी गयी है। वह चोरी गयी चीजों से मेल नहीं खाती है। अभियुक्त से बरामद माल की गादी मुकदमा में शिनाख्त नहीं करायी गयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी घालू करने की बतायी गयी है परन्तु जनता का स्वतंत्र साक्षी नहीं बताया गया है। पार्थी/ अभियुक्त को पुच्छताफ के बराने घर से ले जाकर केस में झूठा फंसाया है। सह- अभियुक्त हकूम सिंह राजपुत की जमानत पूर्व में दिनांक ०६-०२-२१ को स्वीकार की जा चुकी है। वह इस प्रकरण में दिनांक २१-१२-२० में जेल में निरूद्ध है। उक्त आधारों पर जमानत की प्रार्थना की है।

५- विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये यह तक किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध सह- अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके अन्य परिवारीजनों के घर से नकदी व अन्य जेवरात, मोबाइल चोरी करने तथा माल मुकदमाती से संबंधित रूपया वस्तुएं बरामद होने का गंभीर अभियोग है। अभियुक्त के विरुद्ध झाँसी जनपद सहित अन्य जनपद ललितपुर में पंजीकृत पन्द्रह अपराधिक प्रकरणों का विवरण दर्शित करते हुये तथा अभियुक्त को अभ्यस्तः अपराधी होने तथा जमानत होने की स्थिति में पुनः अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाने की संभावना व्यक्त करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

६- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

७- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी मुकदमा रामबाबू अहिरवार द्वारा एक तहरीर संबंधित थाना पर दिनांक ०७-११-२० को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि ' ' दिनांक ६/७-११-२०२२ की रात जब वह खाना खाकर सो गया था। रात में उसके मकान के बाहर के कमरे में ताला लगा हुआ था। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके कमरे का ताला तोड़कर वक्से में रखे २५०००/- रु०, दो जोड़ी पायल, एक हाफ पेटी चांदी की चोरी कर ले गये है। उसके ही परिवार की श्रीमती वती पत्नी बलराम अहिरवार का भी ताला तोड़कर पीतल के बर्तन व कमर की चांदी की पेटी ले गयी व उसके ही परिवार का ओमकार पुत्र भग्गू अहिरवार का भी ताला तोड़कर पन्द्रह हजार रुपये नकद, हाफ पेटी चांदी की अज्ञात बदमाश द्वारा चोरी की गयी है। आकाश का सैमसंग मोबाइल नं०- ८९५७३४९००३ भी ले गये। ' '

७- संबंधित थाने द्वारा अभियुक्त का अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध जनपद ललितपुर में मुकदमा अपराध सं०- ९४०सन२० कोतवाली जनपद ललितपुर, मु०अ०सं० ३४८सन२० थाना तालबेहट जनपद ललितपुर, मु०अ०सं० २७ सन२०१९ थाना बानपुर जनपद ललितपुर, मु०अ०सं० ५४सन१९ थाना बानपुर जनपद ललितपुर, १९८सन२० बानपुर जनपद ललितपुर, मु०अ०सं० २२८ सन२०



बार जनपद ललितपुर व जनपद झाँसी मे मुकदमा अपराध सं०- ३९६सन२० थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी, मु०अ०सं०- ४०९सन२० थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी, मु०अ०सं० ५७सन२१ थाना बबीना जनपद झाँसी, व उ०प्र० गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम १९८६ धारा ३(१), मु०अ०सं० ३०४ सन २० थाना बबीना जनपद झाँसी, मु०अ०सं० ३४५सन२०, ३६२सन२०, ३६३सन२० थाना बबीना जनपद झाँसी, व मु०अ०सं० ८८सन१९ थाना रक्सा जनपद झाँसी प्रस्तुत किये गये है।

इस प्रकार मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आवेदक/अभियुक्त एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गैर जमानतीय है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त व संतोषजनक नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

### आदेश

आवेदक / अभियुक्त **अजय राजपूत पुत्र हुकुम सिंह राजपूत** का मु०अ०सं०- ३०९ सन २०२० अन्तर्गत धारा ४५७, ३८०, ४११ भा०द०सं० थाना बबीना, जिला झाँसी के प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

( विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक: १४- ०६- २०२१

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १,  
झाँसी।

मुहम्मद अनीस,  
स्टेनो।



न्यायालय सत्र न्यायाधीश झाँसी ।

उपस्थित:- विमल प्रकाश आर्य, एच. जे. एस. ( JO Code- UP6488)

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 1332/ 2021

CNR NO- UPJS01- 002615- 2021

श्रीमती वती उर्फ रामवती आदि

बनाम

उ०प्र० सरकार

धारा- 147, 148, 149, 307, 332, 336, 353.

427, 504, 506 IPC एवं 7 क्रि० लॉ

एमेडमेट एक्ट

थाना- समथर, जिला झाँसी

मु०अ०सं०- 60/ 2021

**दिनांक- 14. 06. 2021 निस्तारण प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र श्रीमती वती उर्फ रामवती आदि**

अभियुक्ता श्रीमती वती उर्फ रामवती पत्नी गंगा प्रसाद उम्र करीब 65 वर्ष एवं अभियुक्त पिंटू राजपूत उर्फ जितेन्द्र पुत्र गंगा प्रसाद उम्र करीब 42 वर्ष निवासीगण ग्राम दतावली कला थाना समथर जिला झाँसी द्वारा यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अभियुक्तगण ने अपने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मे यह कथन किया है कि श्रीमती वती उर्फ रामवती व पिंटू राजपूत उर्फ जितेन्द्र मृतक गंगा प्रसाद की पत्नी व लड़का है, जिसकी मृत्यु दिनांक- 07. 06. 2021 की सुबह हो गयी है । अब केवल प्रार्थीगणों के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है, जिनकी मृत्यु के उपरांत के संस्कार प्रार्थीगणों को ही करना है । अस्थि विसर्जन व दिन तैरवी करनी है । 19. 06. 2021 को प्रार्थीगण के पति व पिता की त्रयोदशी एवं गंगा भोज है । लेकिन पुलिस प्रार्थीगण को घर पर नहीं रहने दे रही है । इस कारण कर्मकाण्ड के क्रिया कलापो में विघ्न पैदा हो रहा है । प्रार्थना पत्र के साथ तैरवी का कार्ड संलग्न है । अभियुक्तगणों ने न तो पंचायती चुनाव में किसी भी पद के प्रत्याशी थे और न ही किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में थे, लेकिन गांव में प्रार्थीगण के पति व पिता की पुरानी रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है । प्रार्थीगण के पति व पिता बीमार थे, चलने फिरने में असमर्थ थे । इस कारण दिनांक- 15. 04. 2021 को प्रातः 10 बजे से पहले स्वयं ले जाकर उनका मतदान कराया था व स्वयं भी मतदान किया था । इसके बाद न तोड़ मतदान केन्द्र पर गये और न ही लड़ाई झगड़ा किया । घटना का समय शाम 6 बजे का बताया गया है । उसी समय गांव की महिलाएं अमोवन शौचक्रिया आदि के लिए गांव के बाहर जाती है । रास्त मतदान केन्द्र के सामने ही है । अभियुक्त पिंटू राजपूत उर्फ जितेन्द्र का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि बाद में विवेचना के दौरान झूठा बढ़ाया गया है । प्रार्थीगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है । प्रार्थीगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है और न ही कोई प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय पेश किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है और उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी ) के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया ।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी ) द्वारा प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया है कि अपराध गंभीर है । अतः अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए ।

पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि, वादी मुकदमा शिव प्रसाद प्रभारी निरीक्षक थाना समथर जिला झांसी द्वारा दिनांक- 16.04.2021 को इस आशय की तहरीर संबंधित थाने पर दी गयी कि: " आज दिनांक- 15.04.2021 को मैं प्रभारी निरीक्षक शिवप्रसाद मय हमराही फोर्स मय जीप सरकारी तादा. नुमा UP93 AG 0590 मय चालक कबीर प्रसाद अभिषेक कुमार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तभी मतदान केन्द्र प्राइमरी पाठशाला दत्तावली में पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार ने सूचना दी और बताया कि गांव के 100-125 लोग मतदान केन्द्र में घुसकर तोड़फोड़ कर मत पेटिकाओं को लूट कर ले जा रहे हैं। सूचना पर मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा जरिये आर०टी० सैट व दूरभाष से अफसरान वाला को बताकर मैं प्रभारी निरीक्षक मय हमराही फोर्स के मतदान केन्द्र ग्राम दत्तावली प्राइमरी पाठशाला पर आया तो देखा कि मतदान केन्द्र पर दत्तावली गांव के छत्रा, बजमोहन कुशवाहा, अरविन्द कुशवाहा, मुकेश परिहार, राम अवतार राजू कुशवाहा, महेश राजपूत, भारत राजपूत, अनिल कुमार, मधु राजपूत, राघवेन्द्र, राजाबेटी, श्रीमती वनी मधु लोधी, लकी प्रजापति एवं 100-125 लोग नाम व पता अज्ञात मतदान केन्द्र पर तोड़फोड़ व मतदान केन्द्र पर खड़ी बस जो पोलिंग पार्टी को लेकर आयी थी, में तोड़फोड़ कर रहे थे, जैसे ही मुझ प्रभारी निरीक्षक ने अपनी गाड़ी सरकारी UP93 AG 0590 को मतदान केन्द्र के पास खड़ी की तभी उपरोक्त उपद्रवियों ने मेरी गाड़ी पर ईंट, पत्थरों व लाठी डण्डों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मेरी गाड़ी के शीशे टूट गये एवं क्षतिग्रस्त हो गये। उपरोक्त उपद्रवियों ने जो अपने-अपने हाथों में लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी, पत्थर लिये थे, हम लोगों के गाड़ी से उतरते ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हम पुलिस वालों को घेरकर लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ियों से प्रहार किया, किसी प्रकार से हम पुलिस वाले उनके घेरे से निकलकर जान बचाकर भागे तब उपरोक्त सभी उपद्रवी हम पुलिस वालों एवं मतदान केन्द्र पर लगे पुलिस बल पर ईंट, पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिससे एक पत्थर मेरे सिर पर लगा, जिससे मैं लहलुहान हो गया एवं अन्य पुलिस वालों के ईंट पत्थर लगने से उन लोगों के भी चोटें आयी हैं, किसी प्रकार से हम पुलिस वालों ने अपनी-अपनी जान बचाकर मतदान केन्द्र में कमरे के अन्दर घुसकर अपनी जान बचायी और वहीं से जरिये दूरभाष अपसरान वाला व थाना प्रभारी मोट, पूंछ, शाहजहापुर को घटना के संबंध में बताकर शीघ्र ही अधिक से अधिक फोर्स लेकर अपने को कहा गया। इन लोगों के द्वारा किये गये उपद्रव व कृत्य से व पुलिस के ऊपर जान लेवा हमला करने से गांव के लोगों में दहशत फैल गयी और मतदान कर रहे मतदाताओं में भगदड़ मच गयी एवं ग्रामवासियों ने अपने-अपने दरवाजे बंद कर लिये, जिससे लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी एवं लोग दहशत में आ गये। कुछ समय बाद थाना प्रभारी मोट, पूंछ, शाहजहापुर मय पुलिस बल के मौके पर आ गये। उनके आने पर हम पुलिस वाले कमरे से बाहर निकले। मेरे सिर में चोट लगने से मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समथर में अपना इलाज कराकर आया हूँ। उक्त घटना दिनांक- 15.04.2021 समय करीब 18.45 बजे की है।"

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी मुकदमा शिव प्रसाद प्रभारी निरीक्षक थाना समथर जिला झांसी एक सरकारी कर्मचारी है जो दिनांक- 15.04.2021 को अपने हमराहीयान के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु भ्रमणशील थे, तभी मतदान केन्द्र प्राथमिक पाठशाला दत्तावली से पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार ने सूचना दी और बताया कि 100-125 लोग मतदान केन्द्र में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं व मत पेटिकाओं को लूट कर ले जा रहे हैं। सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक जरिये आर०टी० सैट व दूरभाष से अफसरान वाला को बताकर प्रभारी निरीक्षक मय हमराही फोर्स के साथ मतदान केन्द्र दत्तावली प्राइमरी पाठशाला पर आये और उक्त अभियुक्तगण व अन्य अभियुक्तगणों के द्वारा मतदान केन्द्र की तोड़फोड़ व मतदान केन्द्र पर खड़ी बस, जो पोलिंग पार्टी को लेकर आयी थी, में तोड़फोड़ कर रहे थे और जैसे ही उक्त प्रभारी निरीक्षक/वादी मुकदमा ने अपनी गाड़ी सरकारी UP93 AG 0590 को मतदान केन्द्र के पास खड़ी की तभी उक्त मुल्जिमानों व अन्य मुल्जिमानों ने वादी मुकदमा/प्रभारी निरीक्षक पर ईंट, पत्थरों व लाठी डण्डों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गये एवं गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी। उपद्रवियों अपने-अपने हाथों में लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी, पत्थर लिये हुए थे और वादी मुकदमा वह हमराही के गाड़ी से उतरते ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से पुलिस कर्मचारियों को घेरकर लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ियों से प्रहार किया, किसी प्रकार वादी

मुकदमा व हमराही उपदवों के घेरे से निकलकर भागे और अपनी जान बजायी। मुल्जिमान/ उपद्रवियों ने उक्त पुलिस वालों एवं मतदान केन्द्र पर लगे पुलिस बल पर ईंट, पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिससे एक पत्थर वादी मुकदमा के सिर पर लगा, जिससे वह लहलुहान हो गया और अन्य पुलिस कर्मचारियों के भी ईंट पत्थर लगे और उन्हें भी चोटें आयी हैं। उक्त पुलिस कर्मचारीगण ने मतदान केन्द्र में कमरे के अन्दर घुसकर अपनी जान बचायी। जरिये दूरभाष अपने अधिकारियों व थाना प्रभारी मोट, पूंछ, शाहजहापुर को घटना के संबंध में बताया और फोर्स लेकर आने को कहा गया। मुल्जिमान के उक्त कृत्य से गांव के लोगों में दहशत फैल गयी और मतदान कर रहे मतदाताओं में भगदड़ मच गयी एवं ग्रामवासियों ने अपने-अपने दरवाजे बंद कर लिये, जिससे लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी एवं लोग दहशत में आ गये। कुछ समय बाद थाना प्रभारी मोट, पूंछ, शाहजहापुर मय पुलिस बल के मौके पर आये तो वादी मुकदमा व अन्य पुलिस कर्मचारीगण कमरे से बाहर निकले। वादी मुकदमा के सिर में चोट लगने से उन्होंने अपना इलाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समथर कराया।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य, परिस्थितियों व उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि मुल्जिमानों द्वारा सरकारी सेवकों के साथ उसके कार्य में व्यवधान कारित किया गया और लोक शांति भंग की गयी व लाठी, डण्डे से उन पर प्रहार किया व सरकारी सम्पत्ति ( जीप ) को क्षतिग्रस्त किया। इस प्रकार अभियुक्तगण का कृत्य गंभीर प्रकृति का है और अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने को कोई पर्याप्त व युक्ति-युक्त आधार नहीं है और अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

### आदेश

अभियुक्ता श्रीमती वती उर्फ रामवती एवं अभियुक्त पिंटू राजपूत उर्फ जितेन्द्र का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 1332/ 2021 तदनुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांक- 14. 06. 2021

आशुलिपिक मोहित कुमार

( विमल प्रकाश आर्य )

प्रभारी सत्र न्यायाधीश झाँसी।



**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी ।**

उपस्थित- विमल प्रकाश आर्य, एच०जे०एस०

JO Code N ०- UP- 6488

CNR No. UPJS1- 002416- 2021

**प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०- ११८७ सन २०२१**

संजय कुमार सेन पुत्र स्व० खुत्री नि० मुहल्ला कालका कस्या पूछ तहसील मोंठ थाना पूछ जिला  
झाँसी उ०प्र० ----- अभियुक्त ।

**बनाम**

उ०प्र०राज्य

----- अभियोजक ।

धारा- ४९८ए, ३०४बी भा०द०सं० व ३/ ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम

अ०सं०- ९४ सन २०२०

थाना- पूछ, जिला झाँसी ।

**दिनांक: १४- ०६- २०२१**

मुकदमा अपराध सं०- ९४ सन २०२० अन्तर्गत धारा ४९८ए, ३०४बी. भा०द०सं० व ३/ ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना- पूछ, जिला झाँसी में निरुद्ध अभियुक्त **संजय कुमार सेन पुत्र स्व० खुत्री** की ओर से जमानत हेतु यह **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

आवेदक/ अभियुक्त के पैरोकार ने इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इसके पूर्व इस न्यायालय के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त किया गया है ।

अभियोजन केस के अनुसार प्रार्थी हरीमोहन सेन द्वारा थाना हाजा पर दिनांक ०५- ०८- २०२० तहरीर प्रस्तुत की गयी कि उसने अपनी पुत्री श्रीमती रशिमी की का विवाह दिनांक २२- ०४- १५ को संजय सेन पुत्र स्व० खुत्री से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दहेज करीब छःलाख रुपये किया था । दो वर्ष बाद से सभी लोग उसकी पुत्री को मारने पीटने लगे तथा मोटर साइकिल खरीदकर दिलवाने की कहने लगे । वह पुत्री की ससुराल आकर सास पुष्पा सेन दामाम संजय सेन, जेट विजय सेन, अजय सेन से बातचीत कर कहा कि इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मोटर साइकिल दे सके । आपस में सुलहनामा भी हुआ लेकिन हमेशा मारपीट कर प्रताड़ित करते रहे । दिनांक २८- ०७- २० को उसकी पुत्री को दामाम संजय सेन, दोनों जेट और जैठानी व सास ने मिलकर मारपीट किया । इस घटना को पुत्री ने बुआ फूटा से बताया । दिनांक ०४- ०८- २० को उसकी पुत्री को दामाद संजय सेन, सास श्रीमती पुष्पा सेन, जेट विजय व अजय, जिठानी क्रांति सेन व संगीता ने मिलकर अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल न मिलने के कारण मिटटी का तेल डालकर आग लगाकर मार दिया । इसकी सूचना उसे मोहन दादी ने फोन पर दी । जब वह मौके पर आया तो उसकी पुत्री रशिमी मृत अवस्था में जली पड़ी हुई थी । उक्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ तथा विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त ने कथित कोई अपराध कारित नहीं किया है उसे गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर

प्रकरण में लिप्त किया गया है। उसने पीड़िता/ मृतका से अतिरिक्त दहेज के रूप में कभी कोई मोटर साइकिल अथवा अन्य कोई मांग नहीं की न ही इस हेतु उसका उत्पीड़न किया। दौरान विवेचना समस्त संकलित साक्ष्य के उपरांत प्रार्थी/ अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य सह- अभियुक्तगण की प्रकरण में संलिप्तता न पाकर मात्र प्रार्थी/ अभियुक्त के विरुद्ध ही न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। सत्र परीक्षण में विचारण के दौरान वादी मुकदमा जो कि मृतका का पिता है, का बयान न्यायालय में कराया गया तथा न्यायालय द्वारा दिनांक २२-०३-२०२१ को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। वह एक सीधा साधा युवक है। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये तर्क किया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त मृतका का पति है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके द्वारा अपनी पत्नी को अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटर साइकिल की मांग करने तथा इस हेतु मृतका की मारपीट कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित कर दहेज हत्या का गंभीर अपराध कारित किया गया है। विवेचना के उपरांत प्रकरण में उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का होने का कथन करते हुये उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/ अभियुक्त मृतका का पति है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/ अभियुक्त सहित अन्य सह- अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री से अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटर साइकिल की मांग करने तथा इसी मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना तथा अन्ततः मिटटी का तेल डालकर आग लगाकर जलाकर हत्या कारित किया जाना बताया गया है।

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण एंटी मार्टम वर्न इंजरी के कारण उत्पन्न आघात उल्लिखित किया गया है।

विवेचना के उपरांत प्रार्थी/ अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जहां तक बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि विचारण के दौरान गबाह पी०डब्ल्यू- १ पक्षद्रोही घोषित किया गया है, यह तथ्य का बिन्दु है, जिस पर विचारण के दौरान निष्कर्ष निकाला जा सकेगा।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त एवं संतोषजनक नहीं है।

### आदेश

प्रार्थी/ अभियुक्त **संजय कुमार सेन पुत्र स्व० खुन्नी** का मुकदमा अपराध सं०- ९४ सन २०२० धारा ४९८ए, ३०४बी. भा०द०सं० व धारा ३/ ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना पूंछ जिला झाँसी के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांक: १४-०६-२०२१

मुहम्मद अनीस,  
स्टेनो।

(विमल प्रकाश आर्य)  
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,  
झाँसी।



न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी

प्रथम जमा.प्रा.प.सं०- 1138 सन-2021

CNR NO- UPJS0100 2345 2021

राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला बनाम सरकार

धारा- 302/307/504/506 आई.पी.सी

थाना- प्रेमनगर, झाँसी

अ.सं.- 507/2020

दिनांक-07.05.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष पेश किया गया। इसको पंजीकृत किया जावे तथा शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को इस जमानत प्रार्थनापत्र की एक कापी उपलब्ध करायी जाये। शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित केस डायरी / रिमांड शीट दिनांक 25/5/21 को उपलब्ध करवायें।

1/2 सत्र न्यायाधीश, झाँसी

26/3/22  
26/3/22  
25/3/22

04  
6  
21

25/5/21 - शर्मापत्र अरिये P.C पेश हुआ। शर्मा/अभियुक्त के अधिवक्ता एवं शनू (C) उपस्थित। अपराधिक रिपोर्ट तैयार किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अवाक छुड़ा समय चाहा गया।

सत्र: शर्मापत्र पत्रे सुवाई / अवाक अपराधिक रिपोर्ट दिनांक 04/6/21 को पेश हो।  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाँसी (उत्तर प्रदेश)  
S.J  
857-3

70  
25/3/22



Bail - 1138/2021

राजेश सिंह यादव @ राज्य पक्षीका V/S State

file  
SJ (cont)

04/06/2021

आपन प्रार्थना पत्र पेश हुआ।  
इतिहास गणना जारी है VC उपस्थित। अभियुक्त की  
ओर से त्यागन 9B प्रस्तुत। स्वीकार। वास्ते सुनवाई  
दिनांक 08/6/2021 को पेश हो।


✓  
SJ  
1/2 ADJ (cont)

9/6

08/6/21

प्रार्थना पत्र पेश हुआ। सिविल  
सीडी के साथ वास्ते सुनवाई  
दिनांक 09-6-21 को पेश हो।

✓  
SJ  
1/2 (ADJ-1st)



9/6/21

प्रार्थनापत्र पेश हुआ। राणी/अभि. के अतिरिक्त  
द्वारा 11B त्यागन प्रार्थना पत्र बंधन हू पाव की तिथि  
दिये जाने हू पेश किया। प्रार्थनापत्र वास्ते सुनवाई  
दि. 11/6/2021 को पेश हो।

✓  
1/2 SJ

11/6/21

प्रार्थनापत्र पेश हुआ। 12B त्यागन प्रार्थना पत्र वकी की ओर  
से तैयार - Adjournment application allowed to  
14/6/21.

1/2 SJ

14/6/21

प्रार्थनापत्र पेश हुआ। अग्रपक्ष उपस्थित। बंधन  
रूण नहीं हो सकी। अतः प्रार्थनापत्र वास्ते सुनवाई।  
बंधन दिनांक 23/6/21 को पेश हो।

सत्य प्रतिलिपि 1/2 SJ  
26/3/22  
प्रधान प्रतिलिपिक